जनधन योजना ने करोड़ों को बैंकिंग से जोड़ा

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने योजना की सफलता की सराहना की

देहरादून , 28 अगस्त उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 'जन-धन योजना' के 10 साल पूरे होने पर कहा कि योजना ने करोड़ों भारतीयों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा है. मुख्यमंत्री धामी ने अपनो सोशल मीडिया एक्स से पोस्ट करते हुए लिखा, सशक्त वित्तीय समावेशन का 1 दशक पूर्ण ! प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार की जन-धन योजना के माध्यम से 10 वर्षों में देश के वित्तीय समावेशन की दिशा में एक क्रांतिकारी बदलाव आया है.

इस योजना ने करोड़ों भारतीयों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़कर वित्तीय सुरक्षा को सुनिश्चित किया है और आर्थिक स्वतंत्रता की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. 10 साल की इस यात्रा में, जन-धन योजना से सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग भी मुख्यधारा में शामिल हुए हैं. इस योजना की सफलता के साथ हम सभी को एक सशक्त और समृद्ध भारत की ओर बढ़ने की प्रेरणा मिलती है.

उन्होंने अपने दूसरे पोस्ट में लिखा, 'बैंकिंग सेवा से जुड़ रहा उत्तराखंड का जन-जन'. प्रधानमंत्री जनधन योजना भारत में आर्थिक क्रांति का सूत्रपात है जिससे करोड़ों नागरिक लाभान्वित हो रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड में भी गरीब एवं वंचित वर्ग को जनधन योजना के अंतर्गत बैंकिंग से जोड़ा जा रहा है. प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता एवं जनधन खातों ने देश के वित्तीय समावेशन को नए आयाम दिए हैं. उन्होंने बताया कि जन धन योजना के तहत प्रदेश में 36.64 लाख खाते खोले गए. 24.43 रुपे कार्ड जारी किए गए.

9 नवंबर से पहले यूसीसी होगा लागू : धामी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को कहा कि सरकार ने उत्तराखंड के स्थापना दिवस 9 नवंबर से पहले राज्य में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने का संकल्प लिया है . गौरतलब है कि अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के दौरान वर्ष 2000 में 9 नवंबर को उत्तर प्रदेश से अलग होकर राज्य का गठन किया गया था. पहले इसका नाम उत्तरांचल था, जिसे 1 जनवरी 2007 को बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया . धामी ने कहा, हमने कई ऐसे फैसले लिए हैं, जिन्हें पिछली सरकारों ने वोट बैंक की राजनीति के कारण आज तक लागू नहीं किया.

महबूबा मुफ्ती का चुनाव लड़ने से इनकार

श्रीनगर,28 अगस्त. पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने बुधवार को आगामी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों के लिए 17 विस क्षेत्रों के लिए पार्टी प्रभारियों की घोषणा की. यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब महबूबा मुफ्ती ने पुष्टि की कि वह चुनाव नहीं लड़ेंगी. पार्टी के संसदीय बोर्ड द्वारा कई प्रमुख हस्तियों को विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के लिए प्रभारी नियुक्त किया गया है. राजनेता और विधान परिषद के पूर्व सदस्य मोहम्मद खुर्शीद आलम को ईदगाह निर्वाचन क्षेत्र का प्रभारी नियुक्त किया गया है.

अमेरिका में नेपाली छात्रा की गोली मारकर हत्या

काठमांडू, 28 अगस्त अमेरिका में एक नेपाली छात्रा की बीती रात गोली मार कर हत्या कर दी गई है.

टेक्सास राज्य के ह्युस्टन में इस नेपाली छात्रा की उसके ही अपार्टमेंट में गोली मार कर हत्या किए जाने की जानकारी मिली है. ह्युस्टन पुलिस ने बताया कि 21 वर्षीया नेपाली छात्रा मुना पाण्डे की उसके ही अपार्टमेंट में गोली मार कर हत्या कर दी गई है.

प्रधान कार्यालय, स्टार हाउस 2, जोखिम प्रबंधन विभाग, सूचना सुरक्षा कक्ष, 7वीं मंजिल, सी-5-जी ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई 400 051
ई-मेल: security.information@bankofindia.co.in
बैंक ऑफ़ इंडिया — रिश्तों की जमापूंजी

निविदा सूचना

बैंक ऑफ इंडिया 5+1 (नवीनीकरण) वर्ष के लिए एफएमएस समर्थन के साथ मौजूदा आर्कन पीआईएम समाधान के उन्नयन और नवीनीकरण के लिए योग्य सेवा प्रदाताओं के चयन के लिए अनुरोध प्रस्ताव (आरएफपी) आमंत्रित करता है।
प्रस्ताव के लिए अनुरोध जमा करने की अंतिम तिथि: 18.09.2024 अपराह्न 3:00 बजे तक।
संपूर्ण विवरण जीईएम पोर्टल और बैंक की कॉर्पोरेट वेबसाइट: **www.bankofindia.co.in** पर "निविदा" अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध है।
संशोधन/शुद्धिपत्र, यदि कोई हो, केवल जीईएम और बैंक की वेबसाइट पर रखा जाएगा।

नशा तस्करों के खिलाफ एएनटीएफ का गठन

सीएम मान ने 800 पुलिसकर्मियों और चैट बोट की घोषणा की

चंडीगढ़, 28 अगस्त. पंजाब सरकार नशा तस्करों के खिलाफ बुधवार से अपनी लड़ाई को और मजबूत करने जा रही है. सरकार ने अब नशा तस्करों पर कार्रवाई के लिए एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स गठित की है. यह पहले से ही काम रही रही स्पेशल टास्क फोर्स को अपडेट कर बनाई गई है.

सीएम भगवंत मान ने इसका शुभारंभ किया. वहीं, नशा तस्करों के बारे में सूचना देने या कोई जानकारी देने के लिए चैट बोट नंबर जारी किया गया है. इसके लिए लोगों को 9779100200 पर कॉल करनी होगी. सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा. मैसेज का जवाब भी मिलेगा. साथ ही कार्रवाई होने की सूचना भी दी जाएगी.

मोहाली में स्थापित किया गया एस.आई.टीयू.- पुलिस की तरफ से मोहाली में टास्क फोर्स इंटेलिजेंस एवं टेक्निकल यूनिट स्थापित की गई है. यहां माहिरों की स्पेशल टीम तैनात है, जो कि वॉट्सऐप से लेकर जिन भी तकनीकों का प्रयोग तस्कर आजकल कर रहे हैं, उन पर नजर रखी जा सके. इसके अलावा जो भी जानकारी टीमों को मिलती है, उसे तुरंत टीमों के साथ शेयर किया जाएगा. इसके पीछे कोशिश यही है कि पंजाब को नशा मुक्त किया जाए. इससे पहले सरकार द्वारा 6 सीमावर्ती जिलों में 40 करोड़ रुपए की लागत से कैमरे लगाने का प्रोजेक्ट शुरू किया गया है. क्योंकि, राज्य की 553 किलोमीटर सीमा पाकिस्तान से लगती है. वहीं, अब ड्रोन के जरिए हथियार और नशा पाकिस्तान से आ रहा है. इस दौरान लगाए जाने वाले कैमरों का फोकस सीमा से लगते 500 किलोमीटर के एरिया पर रहेगा. इस दौरान 20 करोड़ की लागत से रणनीतिक पॉइंट्स पर कैमरे लगाए जा रहे हैं. 10 करोड़ से मोबिलिटी बढ़ाने और 10 करोड़ से इन्फ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया जा रहा है. इस फोर्स के लिए बिल्कुल समर्पित मुलाजिम तैनात किए जाएंगे. इस फोर्स में 800 पुलिस मुजालिम तैनात किए जाएंगे.

योगी ने सपा-कांग्रेस पर दंगा फैलाने का आरोप लगाया

अलीगढ़, 28 अगस्त. उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ बुधवार को अलीगढ़ के खैर में पहुंचे. यहां सोमना रोड स्थित गुरूकुल पब्लिक स्कूल में कार्यक्रम स्थल पर रोजगार मेले का उद्घाटन किया. साथ ही लोन वितरण, टैबलेट व स्मार्ट फोन का वितरण भी किया.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता, विकास के साथ रोजगार चाहिए, इन सबके लिए सुशासन चाहिए. आज देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया में आगे बढ़ रहा है, सरकार जनता के दरवाजे पर रोजगार देने पहुंच रही है, जिसकी जितनी क्षमता है उसे उसके अनुसार रोजगार दिया जा रहा है.

आजादी के बाद देश में विकास खिसकने के साथ भेदभाव चल रहा था. लेकिन डबल इंजन की भाजपा सरकार के कार्यकाल में कोई भेदभाव नहीं हो रहा. लेकिन किसी ने अराजकता करने, बहन बेटियों की अस्मत से खिलवाड़ करने की कोशिश की तो उसके साथ कोई रहम नहीं किया जाएगा, उसका रास्ता यमराज के पास होगा. कांग्रेस ने राष्ट्र नायकों का अपमान किया है.

कार्यालय कलेक्टर (खनि- शाखा), जिला- खरगोन (म.प्र.)

पत्र क्र./1221/खनिज/24 — दिनांक 16/08/2024

(म.प्र. गौण खनिज नियम 1996 के नियम 18(1-क) के अंतर्गत उत्खनिपट्टा प्राप्त करने के लिए)

प्रथम सूचना

यह सूचित किया जाता है कि आवेदिक श्री शुभम पिता लक्ष्मीनारायण शर्मा निवासी बाहेती कालोनी, सनावद, जिला खरगोन (म.प्र.) द्वारा मुरुम का उत्खनि पट्टा प्राप्त करने हेतु निम्न क्षेत्र पर ऑनलाईन आवेदन पत्र दिनांक 16.08.2024 को प्रस्तुत किया गया है। दिनांक 24.09.2024 तक इस क्षेत्र पर यथास्थिति उत्खनिपट्टा आवेदन आनलाईन आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन ई-खनिज पोर्टल **https://ekhanij.mp.gov.in** पर प्रस्तुत किये जाएंगे।

आवेदन का संक्षिप्त विवरण

जिला	तहसील	ग्राम	खसरा नंबर	रकबा	भूमि का प्रकार	खनिज का का नाम	रिमार्क
खरगोन	सनावद	रुपखेड़ा	23/2 (एस.)	3.600 हे.	शास. भूमि	मुरुम का उत्खनिपट्टा	
		कुल रकबा		3.600 हे.			

1. उपरोक्त प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन पत्र में आवेदित क्षेत्र के संबंध में अन्य इच्छुक आवेदकों से विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तारीख से आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक ;(कार्यालयीन समय सांय 5.30 बजे तक) ऑनलाईन आवेदन पत्र आंमत्रित किये जाये जाते है।
2. यदि प्रकाशित विज्ञप्ति के उपरांत आवेदन प्राप्त होने की अतिम तिथि तक 03 अथवा उससे अधिक अन्य आवेदकों के आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं, तो प्रथम आवेदन पत्र एवं प्राप्त सभी आवेदन पत्रों को म.प्र. गौंण खनिज नियम 1996 के नियम 21 के तहत् अधिमान्यता तय करने के आशय से उसी दिन प्राप्त गया समझा जाएगा।
3. यदि प्रकाशित विज्ञप्ति मे उल्लेखित आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक 03 से कम आवेदन पत्र प्राप्त होते है तो पुन: 15 दिवस की अवधि में आवेदन प्राप्त करने हेतू निर्धारित कर विज्ञप्ति प्रकाशित की जायेगी। विज्ञप्ति प्रकाशन के दिनांक से 15 दिवस के भीतर अन्य आवेदक भी उपरोक्त आवेदित क्षेत्र पर आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकेगें। उपरोक्त अवधि मे प्राप्त आवेदन पत्र तथा पूर्व प्रकाशित विज्ञप्ति की अवधि के दौरान प्राप्त सभी आवेदन पत्रों को मप्र. गौण खनिज नियम 1996 के नियम 1996 के नियम 21 के तहत् अधिमान्यता तय करने के आशय से उसी दिन प्राप्त किया गया समझा जाएगा।
4. यदि प्रथम एवं द्वितीय प्रकाशित विज्ञप्ति के उपरांत भी निर्धारित समयावधि मे अन्य कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं होता है तो प्रथम आवेदक के पक्ष में नियमानुसार खनि रियायत स्वीकृति पर विचार किया जा सकेगा।
5. निर्धारित समयावधि के उपरांत प्राप्त आवेदन पत्रों को विचार मे नहीं लिया जाएगा।

प्रभारी अधिकारी
(खनिज शाखा)
जिला खरगोन (म.प्र.)

जी -15432/24

भारत की दूसरी परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिघात तैयार

विशाखापट्टनम, 28 अगस्त. भारत की दूसरी परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिघात बनकर तैयार है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत जल्द इसे भारतीय नौसेना को सौंप सकते हैं. देश की पहली पूर्ण परमाणु क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल लैस पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत है. आईएनएस अरिहंत की तरह ही आईएनएस अरिघात का निर्माण भी दिसंबर 2011 में पूर्वी नौसेना बेस विशाखापट्टनम नौसेना डॉकयार्ड के शिप बिल्डिंग सेंटर में किया गया था. निर्माण के पहले चरण के बाद 19 नवंबर 2017 को इसे लॉन्च किया गया. आईएनएस अरिघात के समुद्री परीक्षणों की प्रक्रिया कई चरणों में पूरी की गई है.

आज का इतिहास

- 1953 :रूस ने पहला हाइड्रोजन बम विस्फोट किया.
- 1957 :नागरिक अधिकार अधिनियम, 1957 पारित किया गया.
- 1969 :करगिल युद्ध में शहीद हुए मेजर मनोज तलवार का जन्म हुआ था.
- 1974 :चौधरी चरण सिंह ने लोकदल पार्टी की स्थापना
- 2000 : न्यूयार्क में चार दिवसीय विश्व शांति शिखर सम्मेलन शुरू.
- 2004 :एथेंस ओलिंपिक का समापन.
- 2007 :हरियाणा के चौथे मुख्यमंत्री और स्वतंत्रता सेनानी बनारसी दास गुप्ता का निधन.

भारत ने 73 हजार अमेरिकी राइफल्स का ऑर्डर दिया

नई दिल्ली,28 अगस्त.भारत ने अमेरिका से 73,000 सिग सॉ असॉल्ट राइफल्स का दूसरा ऑर्डर दिया. सिग सॉ ने यह जानकारी दी है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस डील को भारत ने 837 करोड़ रुपए में साइन किया है. इससे पहले फरवरी 2019 में फास्ट-ट्रैक खरीद के तहत भारत ने 647 करोड़ रुपए में 72,400 एसआईजी-716 राइफल्स का ऑर्डर दिया था. राइफल्स की दूसरी खरीद को दिसंबर 2023 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुआई में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने मंजूरी दी थी. इसकी डिलीवरी के बाद भारतीय सेना के पास 1.45 लाख से ज्यादा एसआईजी-716 असॉल्ट राइफल्स हो जाएंगी.

टाटा कैपिटल लिमिटेड

TATA
पंजीकृत कार्यालय : 11 वीं मंजिल, टॉवर ए, पेनीनसुला बिजनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, लोवर परेल, मुम्बई-400013.
शाखा कार्यालय : 302, तीसरी मंजिल, खण्डेलवाल बिजनेस पार्क, ब्लॉक नं. 4, 9/1 एमजी रोड़, इन्दौर - 452001.

अचल संपत्ति के विक्रय के लिए बिक्री सूचना

(प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 9(1) के साथ पठित नियम 8(6) के तहत)

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(1) के साथ पठित नियम 8(6) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस

ऋण खाता क्रं. 21797556: श्री जय प्रकाश मोरधनी

यह सूचित किया जाता है कि **टाटा कैपिटल लिमिटेड** (टीसीएल) एक गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी है और कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत निगमित है और इसका पंजीकृत कार्यालय पेनिनसुला बिजनेस पार्क, टॉवर ए, 11वीं मंजिल, गणपतराव कदम मार्ग, लोअर परेल, मुंबई-400013 में और **मध्यप्रदेश** में अन्य स्थानों के बीच एक शाखा कार्यालय ("शाखा") है, दिनांक **24.11.2023** के आदेशों के तहत, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) मुंबई ने टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ("टीसीएफएसएल") और टाटा क्लीनटेक कैपिटल लिमिटेड ("टीसीसीएल") के बीच हस्तांतरणकर्ता और टाटा कैपिटल लिमिटेड ("टीसीएल") हस्तांतरिती के रूप में, के बीच व्यवस्था की योजना को कंपनी अधिनियम, 2013 ("उक्त योजना") की धारा 66 और अन्य लागू प्रावधानों के साथ पठित धारा 230 से 232 के प्रावधानों के तहत विधिवत मंजूरी दे दी है। इसके संदर्भ में, टीसीएफएसएल और टीसीसीएल (ट्रांसफरर कंपनियां) अपने उपक्रम के साथ सभी संपत्तियों, परिसंपत्तियों, अधिकारों, लाभ, ब्याज, कर्तव्यों, दायित्वों, देनदारियों, अनुबंधों, समझौतों, प्रतिभूतियों आदि, जैसा कि प्रभावी तिथि **यानी 01.01.2024** से साथ एक चालू कंपनी के रूप में टीसीएल में विलय कर चुकी हैं। उक्त आदेश और योजना के अनुसरण में, टीसीएफएसएल द्वारा निष्पादित सभी सुविधा दस्तावेज और उनके संबंध में सभी बकाया आवेदक कंपनी को हस्तांतरित कर दिए गए और इस प्रकार टीसीएल वहां की शर्तों के अनुसार (उधारकर्ताओं / सह-उधारकर्ताओं) से दावा करने का हकदार है।

निम्नलिखित ऋणकर्ता/सह-ऋणकर्ता को व्यक्तिगत रूप से तथा जनसामान्य को सार्वजनिक रूप से एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि **टाटा कैपिटल लिमिटेड (प्रतिभूत लेनदार/टीसीएल)** के पास गिरवीकृत नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिसका कब्जा टाटा कैपिटल लिमिटेड (प्रतिभूत लेनदार) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कर लिया गया है, की बिक्री **"जैसे है जहाँ है" तथा "जो है वही है" और "जो कुछ भी है वहीं है तथा उपचार रहित"** आधार पर **8 अक्टूबर 2024** को की जायेगी।

जबकि प्रतिभूत आस्ति का विक्रय प्रतिभूति ऋण की वसूली के लिए किया जाना है जिसमें **ऋण खाता क्रमांक 21797556 के अंतर्गत राशि रु. 1,37,31,929.80/- (रूपये एक करोड़ सैंतीस लाख इकत्तीस हजार नौ सौ उन्तीस एवं अस्सी पैसे) दिनांक 21.05.2021** को समस्त लागतो, ब्याज आदि सहित **कर्जदारों एवं सहकर्जदारों/जमानतदारों** अर्थात **(1) श्री जय प्रकाश मोरधनी; (2) श्रीमती कंचन प्रकाश मोरधनी; (3) श्री गोपाल दास मोरधनी; (4) मेसर्स पारस लेदर ऑप्टिकल इसके मालिक श्री गोपाल दास मोरधनी के माध्यम से; (5) मेसर्स आई ऑप्टिक्स इसके मालिक श्री जय प्रकाश मोरधनी** के माध्यम से, **सभी का पता:** मकान नंबर 9, जयश्री सिंडिकेट कॉलोनी, इंदौर, मध्य प्रदेश 452001; **अन्य पता :** दुकान तल मंजिल, शिव ट्रेड सेंटर, म्यू. पा. का पूर्वी भाग, हाउस नंबर 21/1, गली नंबर 1, सिख मोहल्ला, इंदौर, मध्य प्रदेश 452001; **अन्य पता :** फ्लैट नंबर 101 पहली मंजिल, शिव ट्रेड सेंटर, म्यू.पा. का पूर्वी भाग मकान नंबर 21/1, गली नंबर 1, सिख मोहल्ला, इंदौर, मध्य प्रदेश 452001 **अन्य पता :** फ्लैट नंबर 201 दूसरी मंजिल, शिव ट्रेड सेंटर, म्यू.पा. का पूर्वी भाग मकान नंबर 21/1, गली नंबर 1, सिख मोहल्ला, इंदौर, मध्य प्रदेश 452001 ; **अन्य पता :** फ्लैट/यूनिट नं. जी-3, शिव ट्रेड सेंटर, म्यू.पा. का पूर्वी भाग, मकान नं.21/1, गली नं.1, सिख मोहल्ला, इंदौर, मध्य प्रदेश 452001, से बकाया है।

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि विक्रय के किसी विलम्बन अनिरन्तरता के उपस्थित होने पर कथित सम्पत्ति का विक्रय ई-नीलामी के माध्यम से **टीसीएल** द्वारा कथित **08 अक्टूबर 2024** को **2:00 बजे अपरान्ह** शाखा कार्यालय **302, तीसरी मंजिल, खंडेलवाल बिजनेस पार्क, ब्लॉक नंबर 4, 9/1 एम जी रोड, इंदौर-452001** पर किया जायेगा।

ईएमडी राशि के डिमाण्ड ड्राफ्ट सहित सम्पत्ति के क्रय हेतु मुहरबन्द ई-नीलामी कथित **07 अक्टूबर 2024** को **5:00 बजे अपरान्ह** तक **टाटा कैपिटल लिमिटेड** के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा ग्रहण किया जायेगा।

सुरक्षित संपत्ति का विवरण	आधिपत्य का प्रकार रचनात्मक/भौतिक	आरक्षित मूल्य (रु.)	बयाना राशि (रु.)
1) भूतल पर दुकान के समस्त भाग एवं अंश, शिव ट्रेड सेंटर, मु.पा. का पूर्वी भाग, मकान नं. 21/1, गली नं. 1, सिख मोहल्ला, इंदौर, मध्य-प्रदेश 452001. क्षेत्रफल 118.125 वर्गफीट की दुकान जो निम्नानुसार घिरा है: पूर्व की ओर : सड़क, पश्चिम की ओर: उक्त संपत्ति का शेष भाग, दक्षिण की ओर: उक्त संपत्ति का शेष भाग, उत्तर की ओर: मकान नंबर 20	भौतिक	Rs. 1,49,75,000/- (रुपये एक करोड़ उन्पचास लाख पिच्चौत्तर हजार मात्र)	Rs. 14,97,500/- (रुपये चौदह लाख सिंतान्वे हजार पांच सौ मात्र)
2) फ्लैट/यूनिट नंबर जी-3, शिव ट्रेड सेंटर, म्यू.पा के पूर्वी भाग के समस्त भाग एवं अंश। मकान नं. 21/1, गली नं. 1, सिख मोहल्ला, इंदौर, मध्य-प्रदेश 452001. फ्लैट/इकाई क्षेत्रफल 109.375 वर्गफीट (निर्मित) जो निम्नानुसार घिरा है: पूर्व की ओर : फ्लैट नं. जी-1, पश्चिम की ओर : उक्त मकान का शेष भाग, दक्षिण की ओर : फ्लैट नंबर जी-4, उत्तर की ओर : मकान नं. 20			
3) फ्लैट नंबर 201, दूसरी मंजिल, शिव ट्रेड सेंटर, म्यू.पा. के पूर्वी भाग के समस्त भाग एवं अंश। मकान नं. 21/1, गली नं. 1, सिख मोहल्ला, इंदौर, मध्य-प्रदेश 452001, फ्लैट क्षेत्रफल 520 वर्गफीट (निर्मित) जो निम्नानुसार घिरा है: पूर्व की ओर: गटर के बाद रोड, पश्चिम की ओर: उक्त मकान का शेष भाग, दक्षिण की ओर : नगर पालिका गली, उत्तर की ओर : मकान नंबर 20			
4) फ्लैट नंबर 101, पहली मंजिल, शिव ट्रेड सेंटर, म्यू.पा. के पूर्वी भाग के समस्त भाग एवं अंश। मकान नं. 21/1, गली नं. 1, सिख मोहल्ला, इंदौर, मध्य-प्रदेश -452001, फ्लैट क्षेत्रफल 520 वर्गफीट (निर्मित) जो निम्नानुसार घिरा है: पूर्व की ओर : गटर के बाद रोड, पश्चिम की ओर: उक्त मकान का शेष भाग, दक्षिण की ओर : नगर पालिका गली, उत्तर की ओर : मकान नंबर 20.			

बिक्री के लिए रखी जाने वाली संपत्ति ऊपर वर्णित अनुसार सुरक्षित परिसंपत्ति के अंदर या भीतर पड़ी चल वस्तुएं घरेलू सूची यदि कोई हो तो सुरक्षित परिसंपत्ति के साथ बिक्री के लिए तब तक उपलब्ध नहीं होगी जब तक कि नीलामी बिक्री नोटिस में विशेष रूप से वर्णित न हो। विक्रय उस दशा में रोक दिया जाएगा जब प्राधिकृत अधिकारी के पास इस बात का सबूत पेश किया जाए या उन्हें इस बात से संतुष्ट किया जाए कि समस्त ब्याज एवं लागत (विक्रय की लागत सहित) सहित उक्त देय राशि का भुगतान कर दिया गया है। विक्रय प्रक्रिया में सामान्य रूप से सर्वसामान्य व्यक्तियों को अपनी निविदा प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया है। इस विक्रय से सम्बन्धित किसी प्रकार का कर्तव्य निर्वहन करने वाला कोई अधिकारी या अन्य व्यक्ति विक्रीत सम्पत्ति के अधिग्रहण या किसी हित के अधिग्रहण के प्रयास हेतु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संविदा नहीं कर सकेगा। यह बिक्री सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत निर्धारित नियमों शर्तों के अधीन होगी।

ई-नीलामी प्रत्येक 10 मिनट के असीमित विस्तार सहित **08 अक्टूबर 2024** को **2.00 बजे अपरान्ह से 3.00 बजे अपरान्ह** के बीच पोर्टल **https://bankauctions.in** के माध्यम से की जायेगी सम्पत्ति के क्रय हेतु जमा की गयी समस्त संविदाओं के साथ ऊपर लिखे के अनुसार जमा धरोहर राशि **इन्दौर** में देय" **टाटा कैपिटल लिमिटेड**" के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जमा करनी होगी। सम्पत्ति का निरीक्षण **20 सितम्बर, 2024** को **प्रातः 11 बजे से सायं 5.00 बजे** के बीच किया जा सकता है।

नोटः इच्छुक संविदाकार **प्राधिकृत अधिकारी श्री हरंगद सिंह भोगल** से **ई-मेल आईडी Harangad.Bhogal@tatacapital.com तथा मो. नं. +91-8657563008** पर संपर्क कर सकते हैं।

विक्रय के विस्तृत नियम एवं शर्तो के लिए कृपया प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट **https://bit.ly/4cJmMon** या अधिकृत प्राधिकारी अथवा सेवा प्रदाता - **मेसर्स फोर क्लोजर** से सम्पर्क करें।

ह/-
(प्राधिकृत अधिकारी)
टाटा कैपिटल लिमिटेड

स्थान : इन्दौर (मध्य प्रदेश)
दिनांक :29.08.2024

कर्नाटका बैंक लिमिटेड

आपका पारिवारिक बैंक संपूर्ण भारत मे.

आस्ति वसूली प्रबंधन शाखा : द्वितीय तल, ई-ब्लॉक, दी मेट्रोपोलिटन, प्लॉट नं. सी-26 एवं सी-27, बान्द्रा कुरला कॉम्पलेक्स,बान्द्रा (ईस्ट) मुम्बई - 400051
फोन : 022-35008017/35128482/35082558
ई-मेल : mumbaiarm@ktkbank.com
वेबसाईट : www.karnatakabank.com
CIN : L85110KA1924PLC001128

आधिपत्य सूचना

चूंकि, वित्तिय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (यहाँ के बाद **''उक्त अधिनियम''** के रुप में संदर्भित) के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में **कर्नाटका बैंक लि.** के प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि **रु. 50,10,567.00 (रुपये पचास लाख दस हजार पांच सौ सड़सठ मात्र)** का भुगतान करने के लिए ऋणियों **(1) दिपक खराट पिता श्री दामोदर खराट एवं (2) श्रीमती प्रभा खराट पति श्री दिपक खराट दानों का पता : # 3/4 केईएच कंपाउण्ड, दरगाह के पास, जीपी इन्दौर, मध्य प्रदेश 452001,** को बुलाने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत **दिनांक 15.05.2024** को मांग सूचना जारी की थी।

ऋणी राशि का भुगतान करने में असफल रहे है, ऋणी और सर्वसाधारण जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि, **प्राधिकृत अधिकारी मौजूदा अधोहस्ताक्षरी ने 27 अगस्त 2024** को उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हे प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में यहा नीचे वर्णित संपत्ति का **कब्जा** ले लिया है। ऋणियों का ध्यान उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (8) के प्रावधानों के तहत उपलब्ध समय के संदर्भ में प्रतिभूत आस्ति के मोचन हेतु आकृष्ट किया जाता है।

ऋणी को विशेष तौर पर और सर्वसाधारण जनता को संपत्ति के साथ किसी तरह का लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और उस संपत्ति के साथ किया गया कोई भी लेन-देन **रु. 51,33,669.00 (रुपय इक्यावन लाख तैतीस हजार छः सौ उनसत्तर मात्र) TL A/c No.3527001600024901 में दिनांक 22.07.2024 तक एवं दिनांक 22.07.2024.से आगे का ब्याज एवं लागत सहित के लिए कर्नाटका बैंक लि., इंदौर शाखा के प्रभार अधीन होगा।**

अचल संपत्ति का विवरण

आवासीय संपत्ति म्यूनिसिपल नं. 16/8 (पुराना नं.163, 170, 726) पारसी मोहल्ला, इन्दौर स्थित संपत्ति के समस्त भाग एवं अंश, क्षेत्रफल 1405 वर्गफीट, **चर्तुसीमा : पूर्व :** रोड़, **पश्चिम:** गली, **उत्तर:** रामकिशन का मकान, **दक्षिण:** बशीर हुसैन का मकान

दिनांक : 27.08.2024
स्थान : इंदौर
प्राधिकृत अधिकारी
कर्नाटका बैंक लिमिटेड

कर्नाटका बैंक लिमिटेड

आपका पारिवारिक बैंक संपूर्ण भारत मे.

आस्ति वसूली प्रबंधन शाखा : द्वितीय तल, ई-ब्लॉक, दी मेट्रोपोलिटन, प्लॉट नं. सी-26 एवं सी-27, बान्द्रा कुरला कॉम्पलेक्स,बान्द्रा (ईस्ट) मुम्बई - 400051
फोन : 022-35008017/35128482/35082558
ई-मेल : mumbaiarm@ktkbank.com
वेबसाईट : www.karnatakabank.com
CIN : L85110KA1924PLC001128

आधिपत्य सूचना

चूंकि, वित्तिय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (यहाँ के बाद **''उक्त अधिनियम''** के रुप में संदर्भित) के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में **कर्नाटका बैंक लि.** के प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि **रु. 1,07,50,103.16 (रुपये एक करोड़ सात लाख पचास हजार एक सौ तीन एवं सोलह पैसा मात्र)** का भुगतान करने के लिए ऋणियों **(1) मेसर्स चिराग इंटरप्राइजेज, इसके प्रोप्राइटर द्वारा प्रतिनिधित्व: श्री मनोज जैन, पता : फ्लैट नंबर 204-बी ब्लॉक, मोती महल, सेक्टर-सी, स्कीम नंबर 71, इंदौर, मध्य प्रदेश-452001, (2) श्री मनोज जैन पिता श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, पता: फ्लैट नंबर 204-बी ब्लॉक, मोती महल, सेक्टर-सी, स्कीम नंबर 71, इंदौर, मध्य प्रदेश-452001 एवं (3) श्री देवेंद्र सोनी पिता श्री शिवकरण, पता: 713, सांई कृपा कॉलोनी, इंदौर, मध्य प्रदेश-452001,** को बुलाने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत **दिनांक 26.02.2024** को मांग सूचना जारी की थी।

ऋणी राशि का भुगतान करने में असफल रहे है, ऋणी और सर्वसाधारण जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि, **प्राधिकृत अधिकारी मौजूदा अधोहस्ताक्षरी ने 27 अगस्त 2024** को उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हे प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में यहा नीचे वर्णित संपत्ति का **कब्जा** ले लिया है। ऋणियों का ध्यान उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (8) के प्रावधानों के तहत उपलब्ध समय के संदर